न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

ं. 116/2003
सीएमएस : 2003/00023

1. गोविन्दराम पुत्र श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मृतक)

1/1. लाली पत्नी श्री गोविन्दराम
1/2. अर्जनराम पुत्र श्री गोविन्दराम
1/3. दीनदयाल पुत्र श्री गोविन्दराम
1/4. मनोहरलाल पुत्र श्री गोविन्दराम
1/5. पपुराम पुत्र श्री गोविन्दराम
} जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/6. बीरूराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ (मृतक)

1/6/1. राजकीदेवी धर्म पत्नी बीरूराम
1/6/2. विशाल पुत्र श्री बीरूराम
1/6/ 3. हर्ष पुत्री श्री बीरूराम
} जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/7. हंसराज पुत्र श्री गोविन्दराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/8. पारादेवी धर्म पत्नी सोहनलाल पुत्री श्री गोविन्दराम जाति नायक साकिन 16 पी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/9. गोरादेवी धर्म पत्नी श्री सुरजाराम जाति नायक साकिन 16 पी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/10. औमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी

1/11. हीरादेवी पुत्री श्री सुरजाराम धर्म पत्नी श्री भंवरलाल जाति नायक साकिन पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।

1/12. सुनीता पुत्री श्री सुरजाराम धर्म पत्नी श्री नन्दराम जाति नायक साकिन 1 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

2. भानीराम पुत्र श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

3. वीरादेवी धर्म पत्नी श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़।

3/1. गोविन्दराम पुत्र श्री भीखाराम जाति नायक तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ के वारिसान उपरोक्त 1/1 ता 1/12 तक

3/2. भानीराम उपरोक्त वादी नं. 02

3/3. गोरादेवी धर्म पत्नी श्री लूणाराम पुत्री श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 68 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

3/4. पेमीबाई धर्म पत्नी श्री सेवाराम पुत्री श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 68 एनपी तहसील रायसिंहनगर।

3/5. गंगाबाई धर्म पत्नी श्री लूणाराम पुत्री श्री भीखाराम जाति नायक साकिन सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।

3/6. मेहतीबाई धर्म पत्नी श्री मूलाराम पुत्री श्री भीखाराम जाति नायक साकिन लुणकरणसर तहसील लुणकरण जिला बीकानेर। ....वादीगण

बनाम

1. भीखाराम पुत्र श्री भोमाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर। (मृतक)

1/1. गोविन्दराम पुत्र श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर। (मृतक) के वारिसान वादी संख्या 1/1 ता 1/12 तक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

1/2. भानीराम पुत्र श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/3. वीरादेवी धर्म पत्नी श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल अनूपगढ़ (मृतक) के वारिसान उपरोक्त वादीगण सं. 3/1 से 3/6 तक

1/4. चम्पादेवी धर्म पत्नी श्री भीखाराम
1/5. बिशनाराम
1/6. मुलाराम
1/7. रामलाल
(1/5 से 1/7 पुत्रगण श्री भीखाराम; 1/4 से 1/7 जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।)

1/8. तेजाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़। (मृतक)

1/8/1. अशोक कुमार
1/8/2. राकु
(जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।)

1/8/3. सोनू पुत्री तेजाराम धर्म पत्नी श्री मोहनलाल जाति नायक साकिन 67 एनपी हाल रामसिंहपुर 67 जीबी तहसील व जिला अनुपगढ़।

1/9. चुनीलाल
1/10. लालुराम
(पुत्रगण श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 67 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला अनुपगढ़।)

1/11. जमनाबाई धर्म पत्नी श्री मंगलाराम पुत्री श्री भीखाराम जाति नायक साकिन 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर।

2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

3. ओरियन्टल बैंक आफ कार्मस शाखा प्रबन्धक रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—53—92ए—188 आर.टी.एक्ट

तारीख रजू 06.11.2003

स्थित अधिवक्तागण

1. **श्री कृष्ण लाल पुनिया अधिवक्ता वादी सं. 1/1 ता 1 ता 12।**
2. **श्री मोहनलाल बाना अधिवक्ता वादी सं. 3/3 ता 3/6।**
3. **श्री अजय तनेजा अधिक्क्ता प्रति सं. 1/1 ता 1/8।**

—: निर्णय :— **दिनांक : 16.07.2025**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 06.01.2011 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2006 व राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2007 को निरस्त कर इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मूल वाद में उभयपक्ष, विशेष रूप से राज्य सरकार को भी साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि संवत निर्णय पारित करे। पक्षकार सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 08.02.2011 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया।

2. वाद पत्र पुनः रिमाण्ड होने पर उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण सं. 1/1 ता 1/12 वादी सं. 2 की तरफ से राजाराम पूनिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/8 की तरफ से श्री अजय तनेजा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वादी सं. 3/3 से /6 की ओर से श्री मोहनलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रति.सं. 1/8, 1/13, 1/14 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि चक 67 एनपी के पं.नं. 246/345 का मु.नं. 4 के 25 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 को आवंटन का पात्र मानते हुए अकेले को आंवटित हुई है जिसकी तमाम किश्ते भी प्रतिवादी स. 1 [illegible] करवाई है उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है तथा इस भूमि [illegible] खाता [illegible] सनद नं. 16139 दिनांक 06.12.1978 को प्रतिवादी सं. 1 के नाम से जारी हो [illegible] है। इस भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 की कब्जा काश्त रही है। हम प्रतिवादीगण [illegible] प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में उसके साथ तथा प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु के पश्चात इस भूमि पर हम प्रतिवादीगण का लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है। वादी[illegible] ने इस भूमि को कभी भी काश्त नहीं की है। वाद पत्र की मद सं. 4 में प्रतिवादी सं. 1 की प्रतिवादी सं. 1/8 पत्नी होना एवं प्रतिवादी सं. 1/9 ता 1/14 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र होने का तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

स्वीकार है। उक्त भूमि में वादीगण का हक व हिस्सा नहीं है वादगत भूमि प्रतिवादी सं0 1 की स्वअर्जित सम्पति थी। प्रतिवादी सं. 1 ने वादगत भूमि चक 67 एन.पी. के मु.नं. 4 प.नं. 246 / 345 में कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है. खातेदारी भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत हम प्रतिवादीगण के पक्ष में दिनांक 16.04.2004 को सब रजिस्ट्रार रायसिंहनगर के कार्यालय में उपस्थित होकर पंजीयन करा दी। प्रतिवादी सं. 1 की दिनांक 07.06.2006 को मृत्यु होने के पश्चात से वादगत भूमि के हम प्रतिवादीगण खातेदार मालिक है तथा उपरोक्त भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित कराने हेतु काउण्डर क्लेम अलग से पेश किया जा रहा हैं। वादगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अकेले को आवंटन हुई है जिसकी खातेदारी सनद भी प्रतिवादी सं. 1 के नाम से जारी हुई हैं वर्तमान में वादगत भूमि के हम प्रतिवादीगण खातेदार मालिक है। वादीगण वादगत भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतिरक्त कथन में अंकित किया है कि वादगत भूमि चक 67 एन. पी. के मु.नं. 4 प.नं. 246 / 345 में कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अकेले को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन हुई है जिसकी सनद नं. 16139 दिनांक 06.12.1978 को प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम से अलांट हुई है। जिसकी तमाम किश्ते भी प्रतिवादी सं. 1 ने ही जमा राज खजाना करवाई है उपरोक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 की निरपेक्ष खातेदारी स्वअर्जित भूमि थी। तथा प्रतिवादी सं. 1 की रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वर्तमान में उपरोक्त भूमि के हम प्रतिवादीगण खातेदार मालिक है। वादी गोविन्दराम को चक 18 पी तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 47 व 85 में कुल 10.929 है. भूमि आवंटन शुद्वा है। जो वादीगण के कब्जा काश्त में है। इसलिए विवादित भूमि फैमिली के हिसाब से आवंटन होने का तथ्य स्वतः ही झूठा साबित होता हैं। वादगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 अकेले की आवंटन शुद्वा खातेदारी भूमि है अतः धारा 53–88–92ए–188 आरटीए के प्रावधान वादगत भूमि पर लागू नहीं होते है। वादपत्र के दौरान यदि वादीगण ने भूमि के रिकार्ड में कोई तब्दीली करवाई है तो वादग्रस्त भूमि की वादपत्र पेश होने के रोज की स्थिति के आधार पर प्रतिवादीगण मुताबिक काउण्टर क्लेम अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी सं. 1 / 8, 1 / 13, 1 / 14 की ओर से काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित वादगत भूमि चक 67 एन.पी. के मु.नं. 4 प.नं. 246 / 345 में कि.नं. 1 ता 25 की 6.325 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अकेले को आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन हुई है जिसकी सनद नं. 16139 दिनांक 06.12.1978 को प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम से अलांट हुई है। जिसकी तमाम किश्ते भी प्रतिवादी सं. 1 ने ही जमा राज खजाना करवाई है इस भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 की कब्जा काश्त रही है। वादगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 की निरपेक्ष खातेदारी भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 / 8 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी एवं प्रतिवादी सं. 1 / 9 ता 1 / 14 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है। प्रतिवादी सं. 1 अपने जीवनकाल में अन्तिम समय तक हम प्रतिवादीगण के साथ रहा है। तथा हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 की सेवा व सार–संभाल की गई है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.02.2004 को वादगत भूमि चक 67 एन.पी. के प.नं. 246 / 345 के मु.नं. 4 की 25 बीघा भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत ब–रूबरू गवाहान के सब रजिस्ट्रार रायसिंहनगर के समक्ष हम प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित कर पंजीयन कराई है। प्रतिवादी सं. 1 की रजिस्ट्रड वसीयत के आधार पर वादगत भूमि के हम प्रतिवादीगण खातेदार घोषित होने की डिग्री पाने के अधिकारी है। वादीगण का वादपत्र पूर्व में श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 23.10.2006 के निर्णय द्वारा खारिज किया जा चुका है। वादीगण की अपील सं. 140 / 2006 के निर्णय दिनांक 18.09.2007 द्वारा श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा वादीगण का वादपत्र [illegible] किया गया। जिसके विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील सं. 88[illegible] / 200[illegible] प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 06.01.2011 द्वारा श्रीमान् राजस्व [illegible] अधिकारी का निर्णय दिनांक 18.09.1997 को अपास्त कर दिया है परन्तु वादीगण द्वारा तहसीलदार से बिना प्रस्ताव मगाये ही वादगत भूमि का इन्तकाल 137 दिनांक 23.07.2007 श्री राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय अनुसार प्रतिवादीगण को सुने [illegible] ही एक तरफा गैर कानूनी ढंग से दर्ज करवा लिया। इन्तकाल की कार्यवाही वादपत्र के विचाराधीन होने के दौरान कराई गई है। अतः प्रतिवादीगण उपरोक्त इन्तकाल सं. 137 दिनांक 23.09.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

2007 को अपने हितों पर अप्रभावी घोषित कराकर मुताबिक काउण्टर क्लेम वादगत तमाम भूमि की खातेदारी घोषणा की डिग्री प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्त काउण्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88–91–188 आरटीए में पेश किया जा रहा है काउण्टर क्लेम श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जाये। तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम डिग्री किया जाकर वादगत भूमि तहसील रायसिंहनगर के चक 67 एन.पी. के प.नं. 246/345 के मु.नं. 4 के 25 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 की वसीयत के आधार पर वादीगण को खातेदार मालिक घोषित किया जावे। तथा वादीगण के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी रोकने हेतु वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी जारी किया जाये।

वादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में दीनदयाल पुत्र श्री गोविन्द राम जाति नायक ने दिनांक 10.11.2014 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया व शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ ए और बी हस्ताक्षर है व प्रमाणित प्रतिलिपि चौथुराम गुप्र लीडर रफूजी रजिस्टर क्रम संख्या 17 की प्रति प्रदर्श–3 है। जिरह में कथन किया है कि सदन खातेदारी एकेले भीखाराम पुत्र श्री भोमाराम के नाम हैं। शपथ पत्र में मैने ब्राहामी बंटवारा में भूमि 10 बीघा प्राप्त होना लिखाया है परन्तु मैने ऐसा ब्राहामी बंटवारा पत्रावली पर पेश नहीं किया है प्रदर्श–3 में भूमि तबादला का आदेश दिनांक 28.03.1954 अंकित है प्रदर्श–1 में तबादला आदेश दिनांक 28.03.1984 अंकित है। मेरे को यह जानकारी नहीं भी नहीं है कि प्रदर्श–1 व प्रदर्श–3 में अंकित दिनांक अलग–अलग है। प्रदर्श–3 में वीरा, गोविन्द्र व भानी का नाम केवल मात्र रफूयजी के तौर पर आये हुए सदस्यों की जनगणना के आधार पर दर्ज हो। सनद दिनांक 06.12.1978 को भीखाराम के अकेले के नाम जारी हो। वाद ग्रस्त भूमि अपनी मानते हुए बिशनाराम को 10 बीघा भूमि का विक्रय कर दिया। शेष भूमि जरिये वसीयत लालूराम, चुन्नीलाल को दे दी हो। चक 18 पी में मेरे पिता को जो भूमि अलॉट हुई है वह कमी पूर्ति में मेरे पिता को आवंटित हुई। उक्त भूमि पर कब्जा हमारा हो इसके संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध हो। अजखूद कहा कि कब्जा हमारा है। वाद ग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा ना हो। ब्राहामी बंटवारा के समय भूराराम पड़ौसी, मेरा भाई दराजाराम व और चार पांच व्यक्ति थे।

सरकार की तरफ से राजपेरोकार उप तहसीलदार समेजा कोठी ने जवाब दावा दिनांक 11.12.2024 पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से उक्त विवादित भूमि खातेदारी है जो कि ओ.बी.सी. बैंक शाखा रायसिंहनगर के रहन है राशि जमा होने पर वाद का निस्तारण किया जावे तो उचित होगा।

प्रतिवादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में बिशनाराम पुत्र भीखाराम जाति नायक ने दिनांक 05.06.2024 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया व चक 67 एनपी के मु.नं. 4 की सनद जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर असल प्रदर्श एन(ए)–1 है जिसकी चित्रप्रति एन(ए)–1(ए) है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श एन(ए)–5 व जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के मु.नं. 4 चक 67 एनपी की आवंटन पत्रावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड डाक जरिये भिजवाई गई जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एन(ए)–6 है आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत 10/–रूपये के पोस्टल आर्डर की असल रसीद एन(ए)–7 है। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा मेरे पत्र पर भिजवाया गया निर्णय असल प्रदर्श– एन(ए)–8 है। मेरे पिता भीखाराम, गोविन्द्रराम, भानीराम, व वीरा भारत–पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। भारत आने पर भारत सरकार द्वारा इनके लिए चक 78 [illegible] के 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन की थी। 78 एनपी भूमि के [illegible] 7 एनपी के प.नं. 246/345 मु.नं. 4 की 25 बीघा भूमि [illegible] की नकल प्रदर्श–3 एवं सनद प्रदर्श– एन(ए)–1 लिखा है। यह बात [illegible] कि भारत आने के पश्चात मेरे पिता द्वारा मेरी माता के साथ दूसरी शादी की [illegible] माता जीवित थी उनकी मृत्यु 2004 में हुई है। हम चन्नीदेवी से सात संता[illegible] मेरे द्वारा गोविन्द्रराम को अन्य चक में भूमि आवंटन कराने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ना ही साथ आज लाया हूं। यह बात सही कि मेरे पिता भीखाराम द्वारा मेरे पक्ष में एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

इकरारनामा 10 बीघा भूमि का कराया हुआ है। आरएए श्रीगंगानगर के आदेश के मुताबिक विवादित भूमि का इंतकाल चारों के नाम चढ़ गया था। अजमेर न्यायालय द्वारा जो आदेश निरस्त होने पर इंतकाल भी निरस्त हो गया। अज खुद कहा कि उक्त भूमि की निलामी हुई थी। इसलिए मेरे द्वारा राशि भरने पर इकरारनामा किया गया था। वसीयत भी समस्त विवादित भूमि की है। भीखाराम की जमीन कुर्क की गई थी। हमारे पिता ने मेरी माता व हमारे दबाब में आकर वादीगण को उनके हिस्से से वंचित करने के लिए सनद प्रदर्श एन(ए)–1 गलत तथ्यों के आधार पर जारी करवा ली हो।

सरकार की तरफ से राजपेरोकार उप तहसीलदार समेजा कोठी ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशानुसार सरकार की तरफ से साक्ष्य में वर्तमान जमाबंदी एवं दैनिक डायरी दिनांक 07.12.2024 पेश की जिसमें अंकित है कि मौका पर चक 67 एनपी मु.नं. 4 पं.नं. 246 / 345 की कुल 6.325 है. नहरी भूमि में कि.नं. 1 ता 6 में सरसों 7–8 में गेंहू, 9–10 में सरसों, 11 ता 14 में गेंहू, 16 ता 24 में सरसों व 25 में चारा की काश्त है। इसी मुरब्बा के कि.नं. 15 में दीनदयाल पुत्र गोविन्दराम सपरिवार ढाणी बनाकर निवास करता हैं अन्य कोई साक्ष्य व प्रदर्श सरकार की तरफ से पेश नहीं किये गये।

प्रति सं. 2 ता 6 की तरफ से दिनांक 08.05.2024 को प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। जो दिनांक 10.10.2024 को खारिज किया गया। प्रति. सं. 1 ता 6 की तरफ से प्रार्थना पत्र आ. 14 नि. 2 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विधिक तनकीयात कायम का निर्णय लिया गया। दिनांक 09.05.2025 को प्रति. सं. 2 ता 6 की तरफ से प्रार्थना पत्र आ. 22 नि. 4 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। जिस पर वादी अधि. ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 13.06.2025 को लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी नकल वादी के अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने इसी के साथ कथन किया कि राजस्व मण्डल व राज. उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त के अनुसरण में एवं पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद पत्र चाहे गये अनुतोष बाबत खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता ने दिनांक 27.06.2025 को लिखित बहस का लिखित में जवाब पेश किया। प्रतिवादी अधिवक्ता को नकल दिलाई गई। वादी अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि वादीगण व उनके पिता भीखाराम को सर्व प्रथम चक 17 ओ तत्पश्चात तबादला में 78 एनपी व उसके पश्चात तबादला में माननीय न्यायालय के आदेश से दिनांक 28.03.1984 को चक 67 एनपी के मुरब्बा नं. 4 के 25 बीघा भूमि सदस्यों के आधार पर आवंटित हुई। जिसमें भीखाराम, गोविन्दराम, भानीराम व वीरा प्रत्येक का 1 / 4 हिस्सा साबित है। प्रतिवादी भीखाराम के न्यायालय में दिनांक 07.11.2005 को हुए ब्यानों में स्वयं जिरह में यह स्वीकार किया है कि हम पाकिस्तान से चार सदस्य भारत आये थे जो मैं मेरी औरत, गोविन्दराम, भानी जिससें भी यह साबित है कि वादीगण इस भूमि में अपना 1 / 4 हिस्सा प्रत्येक प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। जिरह में प्रतिवादी भीखाराम ने यह भी स्वीकार किया है कि वादी गोविन्दराम को वादग्रस्त भूमि में से 10 बीघा भूमि दे रखी है। जिससें वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी भी साबित है उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने पूर्णरूप से अपना दावा साबित किया है अतः वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जावे।

9. प्रतिवादीगण चन्नीदेवी पत्नी भीखाराम व चुन्नीलाल–लालूराम पि. भीखाराम द्वारा दिनांक 18.03.2011 को प्रार्थना पत्र आ. 8 नि. 1 व सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। 29.03.2011 को प्रार्थना पत्र आ. 8 नि. [illegible] के स्थान पर आ. 8 नि. 10 व धारा 151 सीपीसी के प्रावधान क[illegible] पढ़े जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया वकील प्रतिवादी ने प्रा[illegible] 14(3) व धारा 151 सीपीसी पेश किया। दिनांक 29.03.2011 [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व 151 सीपीसी पेश किया [illegible] 22.04.2018 [illegible] किया गया। दिनांक 08.09.2021 को प्रार्थी लालूराम की तरफ से प्रार्थ[illegible] आ.22 नि. 3(2) एवं 151 सीपीसी व प्रार्थना पत्र आ. 16 नि. 6 एवं 151 सीपीसी पेश किया। दिनांक 30.03.2022 को प्रति. सं. 1 / 10 की तरफ से प्रार्थना पत्र आ.22 नि. 3–9 एवं 151 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

पेश किया। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आ.22 नि. 3–9 एवं 151 सीपीसी दिनांक 07.06.2022 को खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र आ. 22 नि. 3–2 एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मेहती बाई के विधिक वारिसान को बतौर वादिया प्रतिस्थापित किया। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आ. 16 नि. 6 एवं 151 सीपीसी पेश किया। जो दिनांक 07.06.2022 को खारिज किया गया। दिनांक 5.11.2024 को वादी अधि. ने प्रा. पत्र आ. 22 नि. 2–3 व 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 28.11.2024 को न्यायहित में स्वीकार किया गया। दिनांक 03.01.2025 को प्रार्थना पत्र आ. 8 नि. 1(3) व 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 30.01.2025 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर राजपेरोकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये।

हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (i) आया वादीगण गोविन्दराम–भानीराम, वीरा व प्रतिवादी सं. 1 भीखाराम को चक 67 एन.पी. के प.नं. 246/345 के मु.नं. 4 के 25 बीघा भूमि रिफ्यूजी सदस्यों के हिसाब से आवंटन हुई और वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 का इस भूमि में 1/4 हिस्सा प्रत्येक का है। –:जिम्मेवादीगण

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण पर थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी. डब्ल्यू 1 गोविन्दराम, पी. डब्ल्यू 2 दीनदयाल की साक्ष्य, प्रदर्श 3 चौथूराम ग्रुप लीडर में भीखाराम के परिवार के सदस्यों का दाखिल रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर निवेदन किया कि आवंटित कृषि भूमि भीखाराम प्रतिवादी नं. 1 के नाम से है लेकिन भीखाराम के परिवार में गोविन्दराम, भानी, वीरा वादीगण व स्वयं भीखाराम आये थे जिनका नाम दाखिला रजिस्टर मे स्पष्ट रूप से अंकित है। भीखाराम मात्र अलॉटी था परन्तु भारत सरकार द्वारा आवंटित कृषि भूमि में प्रत्येक परिवार का सदस्य आवंटी की हैसियत रखता है क्योंकि कि भीखाराम को कृषि भूमि पारिवारिक सदस्यों के आधार पर भूमि आवंटित की गई थी। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 प्रदर्श 3 में तबादला की तारीख भिन्न–भिन्न हैं जिससें यह दस्तावेज संदिग्ध दृष्टि से देखे जा सकते है साथ ही माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टान्त डब्ल्यूएलएन 1974 पेज 12 सतनामसिंह व अन्य बनाम जगरसिंह, डी.एन.जे. 2015(4) पेज 1476 पेमाराम बनाम संभागीय आयुक्त, आर.आर.डी 1992 पेज 611 श्रीमती मायादेवी आदि बनाम पठानासिंह व आर.आर.डी 2002 पेज 495 दलराज बनाम शांति पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पति का मुखिया भीखाराम पुत्र भोमाराम अकेला ही मालिक है तथा सनद खातेदारी दिनांक 06.12.1978 प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में जारी की जा चुकी है इस लिए तनकी एक वादीगण के विरूद्व निर्णित की जानी न्यायोचित है। अधिवक्ता वादी के अनुसार अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जो नजीरे पेश की है वह इस प्रकरण में लागू नहीं होती क्योकि इन दृष्टान्तों में अलग–अलग कारण दिखाये गये है जो इस प्रकरण से मेल नहीं खाते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित है कि भूमि भीखाराम को परिवार का मुखिया होने के साथ–साथ परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित की गई थी। परिवार के चारों सदस्यों का (1/4 हिस्सा प्रत्येक) उसमें हिस्सा हैं। रकबा परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित होने के कारण प्रत्येक सदस्य को ब. हि. ब. का हक है तबादला के बिंदु पर दोनों पक्षों में विवाद नहीं है दोनों पक्ष स्वीकार करते है कि हमे तबादले में उक्त भूमि प्राप्त है अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्व निर्णित की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या (ii) आया कि वादीगण अपने हिस्से अनुसार कि जमीन बटवारा करवाने के अधिकारी है। –:जिम्मेवादीगण

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण पर थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पी. डब्ल्यू 1 गोविन्दराम, पी. डब्ल्यू 2 दीनदयाल की साक्ष्य, प्रदर्श 3 चौथूराम ग्रुप लीडर में भीखाराम के परिवार के सदस्यों का दाखिल रजिस्टर की प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

(v) आया वादी गोविन्दराम को भी चक 18 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 47 व 85 में कुल 10.929 है. भूमि आवंटन शुद्वा है इसलिए विवादित भूमि में वादीगण कोई हक एवं हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। —:प्रतिवादी सं. 1

उक्त विवाद्यक को सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं. 1 पर था। प्रतिवादी व वादी गोविन्दराम के नाम चक 18 पी की कृषि भूमि की जमाबंदी प्रदर्श एनए 4 प्रदर्शित करवाई गई। स्वयं वादी गवाह पीडब्ल्यू–2 द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि गोविन्दराम को आवंटित हुई थी। गोविन्द्रराम के नाम से 10.92 है. अनकमाण्ड भूमि दर्ज रिकार्ड है। यह कानूनन न्यायोचित नहीं है यदि किसी के पास पूर्व में अन्य कोई भूमि हो तो उसके हिस्सा में आने वाली अन्य भूमि से महरूम किया जावे। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्व करने में असफल रहे है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है

(vi) अनुतोष

तनकी संख्या 1 ता 5 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है।

—: आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88–92ए–188 आर.टी. एक्ट भली–भांति साबित नही होने पर स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि में भीखाराम, गोविन्दराम, वीरा, व भानीराम को परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित होने के कारण प्रत्येक सदस्य का 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. का अधिकार है अतः चक 67 एनपी मु.नं. 4 पं.नं. 246/345 की 25 बीघा भूमि में वादीगण गोविन्दराम, भानी व वीरा व प्रतिवादी सं. 1 भीखाराम को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता हैं पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सर ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested